न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/26
दायरा तिथि : 01.01.2025
आदेश तिथि 17-03-2025
प्रार्थीगण –

1. बाबुलाल पुत्र पोकरराम
2. गणपतलाल पुत्र थानमल
3. दुर्गादेवी पुत्री थानमल
4. भागुदेवी पत्नी थानमल
5. महेन्द्रकुमार पुत्र थानमल
6. राजेश कुमार पुत्र थानमल जातिगण रावल ब्राह्मण निवासीगण बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 17-03-2025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप मे आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेला पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नम्बर 546/7 रकबा 0.2108 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेला पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 547 रकबा 0.2500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(1) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/300 दिनांक 31.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थीगण के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है, चालु है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	547	0.25 हैक्टर	बारानी दोयम	13.40x9.14=122.476 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि भू.अ. निरीक्षक खुडाला द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 4481000रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सेला पटवार हल्का धनी तहसील बाली के खसरा नंबर 546/7 रकबा 0.2108 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/300 दिनांक 31.01.2025 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार......02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025/26

अनवान आशीष वगैरा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक.प.3(62) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेला पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 546/7 रकबा 0.2108 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम सेला पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 547 रकबा 0.25 हैक्टर मे से 612 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 4481000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
547	0.25 हैक्टर	13.40X9=120.6 वर्गमीटर	449	54150X2=108300	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 108300/– (अक्षरे एक लाख आठ हजार तीन सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमांक/कोर्ट/2025/271-275
दिनांक : 20-03-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक बाबुलाल पुत्र पोकरराम जाति रावल ब्राह्मण निवासी बाली तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

CamScanner

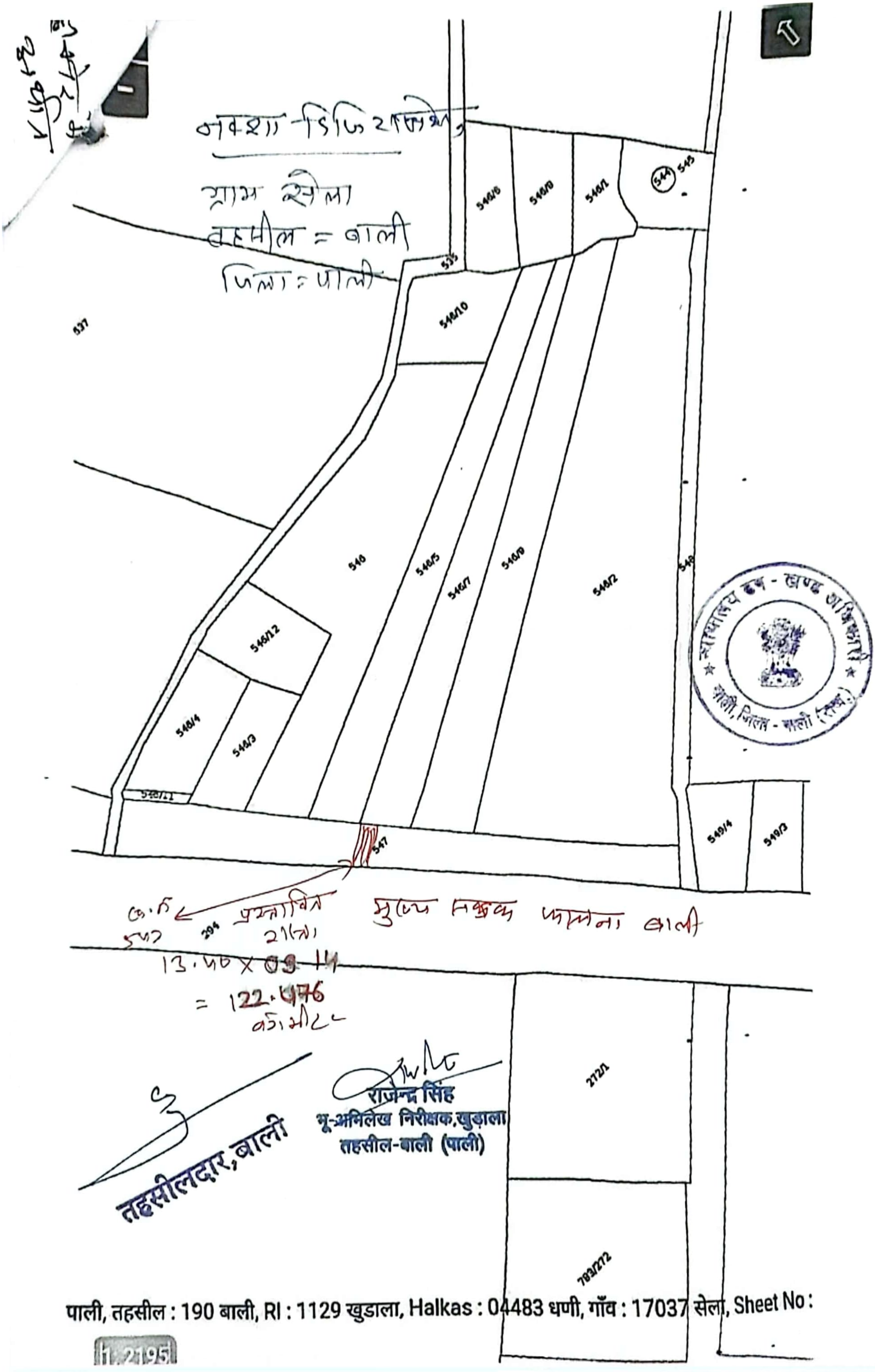
ग्राम सेला
तहसील = बाली
जिला = पाली
546/6
546/8
546/1
544
545
535
546/10
537
546
546/5
546/7
546/9
546/2
548
546/12
546/4
546/3
546/11
547
549/4
549/3
प्रस्तावित रास्ता
294
मुख्य सड़क फालना बाली
13.40 × 09.14
= 122.476
वर्गमीटर
न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)
राजेन्द्र सिंह
भू-अभिलेख निरीक्षक,खुडाला
तहसील-बाली (पाली)
तहसीलदार,बाली
272/1
783/272
पाली, तहसील : 190 बाली, RI : 1129 खुडाला, Halkas : 04483 धणी, गाँव : 17037 सेला, Sheet No :
1: 2195